

least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.		Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period, for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Superintendent, Safdarjung Hospital –Chairperson; (ii). Deputy Director (concerned) Directorate General of Health Services –Member; (iii). Deputy Director Administration, Safdarjung Hospital – Member. Group ‘C’ Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: 1. Additional Medical Superintendent, Safdarjung Hospital –Chairperson; 2. Deputy Director (concerned) Directorate General of Health Services –Member; 3. Deputy Director Administration, Safdarjung Hospital – Member.	
--	--	---	---	--

[F. No. A-11018/01/2023-MH-II]

ABHISHEK PANDEY, Under Secy.

नई दिल्ली, 13 मई, 2025

सा.का.नि. 67.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली (समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 1979 को, जहां तक उनका संबंध शव-संलेषक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली में शव-संलेषक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, शव-संलेषक (समूह 'ग' पद), भर्ती नियम, 2025 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर** – उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि** - उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ(13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता - वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा

की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति** - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति:** इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पद की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन पद या अचयन पद।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शव-संलेपक	02* (2025) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (18000-59900 रुपये)।	लागू नहीं होता।	18 से 27 वर्ष की आयु के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों की दशा में पैंतालीस वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण : आयु-सीमा निर्धारण के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यथाविज्ञापित होगी।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
i. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण; तथा ii. किसी मान्यता प्राप्त अस्पताल या संस्थान में बॉडी हैंडलर के रूप में	लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती के लिए 2 वर्ष। टिप्पण: परिवीक्षा को सफलतापूर्वक	सीधी भर्ती। टिप्पण : पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिये बाहर रहने के कारण

शारीरिक रचना या फोरेंसिक मेडिसिन विभाग या अंत्येष्टि सेवा केंद्र में कम से कम छह महीने का अनुभव। टिप्पण 1: अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।	पूरा करने के लिये केंद्रीय सरकार द्वारा यथानिर्धारित कम से कम 2 से चार सप्ताह की अवधि का एक अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण होगा।	हुई रिक्तियाँ केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी:- (क)(i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव हों।
--	--	--

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना	भर्ती की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टीकरण पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिल कर बनेगी:- 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल - अध्यक्ष; 2. प्रोफेसर, शरीर रचना विभाग, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल - सदस्य; 3. उप निदेशक प्रशासन (संबंधित), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय -सदस्य; 4. उप निदेशक प्रशासन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल - सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए- 11018/09/2023-एमएच II]

अभिषेक पाण्डेय, अवर सचिव

New Delhi, the 13th May, 2025

G.S.R. 67.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital, (Group 'D' posts) Recruitment Rules, 1979, in so far as they relates to the post of Embalmer, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Embalmer in the Lady Hardings Medical College and Smt. Sucheta Kripalani Hospital, in the Ministry of Health and Family Welfare, New Delhi, namely:-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi, Embalmer (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay-matrix.**— The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**— No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Embalmer.	02* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-1 in the pay matrix. (Rs. 18000-59900)	Not applicable.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.
(6)	(7)	(8)
Between 18 and 27 years of age (Relaxable for Government servants up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	(i) 10 th class pass from a recognised Board; and (ii) Three months experience in the Department of Anatomy or Forensic Medicine or Funeral Service Centre, in a recognised Hospital or institute as Cadaver or Dead-body handler. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates otherwise well qualified. Note2: Qualifications regarding experience	Not applicable.

	is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.	
--	---	--

Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grade from which promotion or deputation / absorption to be made.
(9)	(10)	(11)
Two years Note: There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of the probation as prescribed by the Central Government)	Direct recruitment. Note: Vacancy caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government, – (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).	Not applicable.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of,- 1. Additional Medical Superintendent, Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kripalani Hospital - Chairperson; 2. Professor, Department of Anatomy, , Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kripalani Hospital - Member; 3. Deputy Director Admin (concerned), Directorate General of Health Services - Member; 4. Deputy Director Administration, Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kripalani Hospital - Member.	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A-11018/09/2023-MH-II]

ABHISHEK PANDEY, Under Secy.